म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. / बी–6 / नियमन / हर्बल औषधि / 85 / 2719 भोपाल,दिनांक 19 / 10 / 2016

प्रति,

अपर / संयुक्त / उपसंचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा,

विषयः– शहद, लाख एवं चिरोंजी को अनुसूची से विलोपित करने के संबंध मे।

संदर्भः– मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26 सितम्बर 2016

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग मे लाते हुए शासन द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2(1)(क) मे उल्लेखित अनुसूची के शीर्ष "बारह–वन उपज" की अधीन मद क्रमांक 1 मे लाख, क्रमांक 5 मे चिरोंजी तथा क्रमांक 7 मे उल्लेखित शहद को विलोपित किया गया है। इस आशय की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26 सितम्बर 2016 को हुआ है। इस राजपत्र की छायाप्रति संलग्न है।

अतः आपके संभाग की समस्त मंडी समितियों को राजपत्र की प्रति उपलब्ध कराई जाकर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

18.10.16

उप संचालक(नियमन)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र. / बी–6 / नियमन / हर्बल औषधि / 85 / भोपाल,दिनांक / 10 / 2016

1 निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2 चीफ प्रोग्रामर, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

18.10.16

उप संचालक(नियमन)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 399]   भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 सितम्बर 2016—आश्विन 4, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2016

क्र. डी-15-41-2016-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2(1)(क) में उल्लेखित अनुसूची के शीर्ष ''बारह-वन उपज'' की अधीन मद क्रमांक 1 में ''लाख'', क्रमांक 5 में ''चिरोंजी'' तथा क्रमांक 7 में उल्लेखित ''शहद'' को विलोपित करती है जिसके लिये उक्त धारा 60 के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रस्ताव का प्रकाशन पूर्व में किया जा चुका है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2016

क्र. डी-15-41-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 26 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 26th September 2016

No. D-15-41-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by the Section 60 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby, deletes item I. "Lac", item V. "Chironji" and item VII. "Honey" under the heading "XII-Forests Produce" of the schedule mentioned in Section 2(1)(a) of the said Act, the proposal for same has previously been published as required by proviso of the said Section 60.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY GUPTA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2016

क्र. डी-15-35-2015-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 72 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कृषि उपज मण्डी समिति, हरपालपुर एवं कृषि उपज मण्डी समिति, नौगांव, जिला छतरपुर में निर्वाचन द्वारा मंडी समिति के गठन के लंबित रहने की कालावधि तक के लिये निम्नानुसार भारसाधक समिति का गठन करती है:—

कृषि उपज मण्डी समिति, हरपालपुर :

1.	श्री बाबूलाल गुप्ता पिता श्री श्रीरामदयाल गुप्ता, वार्ड नं. 3, चंद्रपुरा	(पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि/अध्यक्ष
2.	श्रीमती पार्वती देवी पत्नी स्व. श्री वीरसिंह राजपूत, ग्राम अमा, वार्ड नं. 01	(पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
3.	श्री धीरज सिंह पिता श्री वीरसिंह बुन्देला, मु.पो. दौरिया, वार्ड नं. 2	(पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
4.	श्री ईश्वरदास पिता श्री बिहारी दास राजपूत, मु.पो. इमलिया	(नामनिर्दिष्ट)	कृषक प्रतिनिधि
5.	श्री महेन्द्र सिंह पिता श्री श्रीपत सिंह, मु.पो. रानीपुरा	(नामनिर्दिष्ट)	कृषक प्रतिनिधि
6.	श्री लोकेन्द्र सिंह पिता श्री वीरसिंह, मु. लहदरा, पो. गलान	(नामनिर्दिष्ट)	कृषक प्रतिनिधि
7.	श्री मोहन पिता श्री प्यारेलाल अहिरवार, मु. भदर्रा, पो. चिरवारी	(नामनिर्दिष्ट)	कृषक प्रतिनिधि
8.	श्री संजय पिता श्री घासीराम गुप्ता, वार्ड नं. 10	(नामनिर्दिष्ट)	व्यापारी प्रतिनिधि
9.	श्री प्रमोद कुमार पिता श्री मातादीन यादव, मु. पो. हरपालपुर	(नामनिर्दिष्ट)	तुलैया/हम्माल प्रतिनिधि
10.	श्री रामाधीन पिता श्री गोविन्ददास, ग्राम मबईया, वार्ड नं. 1	(नामनिर्दिष्ट)	कृषक प्रतिनिधि
11.	श्रीमती उषा पति श्री रघुनाथ यादव, ग्राम जोरन, वार्ड नं. 2	(नामनिर्दिष्ट)	कृषक प्रतिनिधि
12.	श्री मोहनलाल पिता श्री हरप्रसाद करारागंज, वार्ड नं. 2	(नामनिर्दिष्ट)	कृषक प्रतिनिधि
13.	राज्य की विधान सभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो		(पदेन सदस्य)
14.	सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि		(पदेन सदस्य)
15.	कृषि विभाग का एक अधिकारी		(पदेन सदस्य)
16.	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष		(पदेन सदस्य)
17.	जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष		(पदेन सदस्य)
18.	ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य		(पदेन सदस्य)